|| कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांसवाड़ा ||

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–।।। भर्ती परीक्षा–2018 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्र.सहा.।।।/सी.भ./2017–18/ दिनांक 01.08.2020 के निर्देशानुसार प्रयोगशाला सहायक तृ.वे.श्रृं.पद पर सीधी भर्ती परीक्षा 2018 हेतु चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार पे मेट्रिक्स **L- 8** पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित आशार्थी को तृ.वे.श्रृं. प्रयोगशाला सहायक पद पर पे मेट्रिक्स **L- 8** में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 18500/– पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन की कार्यवाही निर्देशो के अनुसार दिनांक 08.08.2020 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1) एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इन्हें दिनांक **23.08.2020** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–।।/95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
4. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करगें। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नही पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. अन्य पिछडा वर्ग में चयनित अभ्याथियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण–पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो की 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है ' अर्थात अनुसूचि में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनत्तम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पपर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे, तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सुचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको कार्यग्रहण करवाया जावे। यदि काई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रीम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

लगातार......2

8. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।
9. विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धि प्रावधान लागु होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/–रू. के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
10. टीएसपी क्षैत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार में कार्मिक (क--2) विभाग, सरकार जयपुर की अधिसुचना दिनांक 04.07.2016 एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार नवीनतम जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावें ।
11. अभ्यार्थी द्वारा दहेज नहीं लिए जाने का स्वघोषणा–पत्र प्राप्त करेंगें।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (ड़ीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। इस अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौति नहीं होगी एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
13. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12(9)एफ.डी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं निर्णयों के अध्यधीन रहेंगें।

इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावे तथा कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करें ।

क्र. सं.	रोल नं.	मेरिट नं.	चयन वर्ग	अभ्यार्थी का नाम / पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	अभ्यर्थी फोटो
01	477449	10154	GEN	SANGEETA GURJAR / NARAYAN LAL GURJAR	VILLAGE-GORELAPOST-SISARMATEHSIL-GIRWA, UDAIPUR	31-Jan-98	GGSSS CHANDRAPOL GATE BANSWARA 8281013201	BANSWARA	

13/8/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मु.) माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/बांस/संस्था–1/फा.प्र.सहा.तृवेश्रृं/नियुक्ति–2018/2020–21/262 दिनांकः–13.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. शिक्षा संयुक्त निदेशक माध्यमिक/प्राशि उदयपुर मण्डल उदयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बांसवाडा
10. संबंधित संस्थाप्रधान...
11. सम्बन्धित आशार्थी श्री..
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मु.) माध्यमिक बांसवाड़ा